न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला—सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री परमजीत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 45/2012 रा.वा.

उनवान

1. श्री गिरधारी लाल पिता स्वर्गीय उँकारलाल जी पटेल (डांगी) उम्र बालिग
2. श्री प्रकाश पिता स्वर्गीय उंकारलाल जी पटेल (डांगी) उम्र बालिग
3. श्री विमल पिता स्वर्गीय रोंकारलाल जी पटेल (डांगी) उम्र बालिग
4. श्रीमती उषादेवी पत्नि स्व. अमृतलाल जी डागी (पटेल) उम्र बालिग
5. श्री गौरव पुत्र स्व. अमृतलाल जी डांगी (पटेल) उम्र 25 वर्ष सभी निवासीयान सलूम्बर तह. सलूम्बर जिला उदयपुर (राज.)

—वादीगण

विरुद्ध

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् जिला कलेक्टर साहब जिला उदयपुर हाल जिला सलूम्बर।
2. श्रीमान् अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई विभाग उपखण्ड सलूम्बर (जल संसाधन उपखण्ड सलूम्बर)
3. श्रीमान् सहायक अभियन्ता सिंचाई विभाग उपखण्ड सलूम्बर (जल संसाधन उपखण्ड सलूम्बर)

—प्रतिवादीगण

वादअन्तर्गत धारा—88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम

—::निर्णय::—

दिनांकः— 23/06/2025

सहायक कलेक्टर सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)

उपस्थितिः श्री गोपाल चौबिसा अधिवक्ता—वादीगण
श्री गेबीलाल मेहता अधिवक्ता—प्रतिवादीगण

वादीगण ने वाद बाबत् घोषणा कराने खातेदारी हक इन्द्राज दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राज. काश्त.अधि. एवं धारा 136 रा.ले.रे.एक्ट का पेश किया। वादीगण के वादपत्र के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि —

1. मौझा दुदर पटवार सर्कल डाल तह. सलूम्बर की निम्नलिखित कृषि भूमि वादी नं 1 एक, 2 दो व 3 तीन के स्वर्गीय पिता एवं वादी नं 4 चार के स्व ससुर व वादी न. 5 पाँच के स्व. दादाजी उँकारजी पिता किशनलाल जी डांगी (पटेल) निवासी सलूम्बर ने पूर्व खातेदारी श्री सवलाल पिता नवलरामजी सुथार निवासी सलूम्बर से जरिये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 15—11—1960 को बिल एवज रूपया 1800—रूपया में खरीदी थी जिसका वर्णन वादपत्र कलम संख्या 1 अनुसार साबिक आराजी नम्बर 31, 32, 33, 34, 35, 36, (37, 40) जूज, 38, (39, 41, 42) जूज, 43, (44, 45) जूज, 55 कुल खेत 12 कुल रकबा 11 बीघा 11 बिसवा

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

लगानी 19 रू. 13 आना = क्षेत्रफल 2.4954 हेक्टेयर =2.50 हेक्टेयर। उक्त भूमि के पडौस निम्नलिखित हैं:–

पूर्व :– श्री रतनलाल जी वैद्य का काबरा वाला रेंट जो उन्होने देवीसिंह जी भंडारी से खरीदा था दोनो चको के मध्य बाड लगी हुई हैं। वर्तमान पत्थरो का कोट बना हुआ है। वर्तमान वारिश खातेदार कैलाश व नरेन्द्र चौबीसा बेटे।

पश्चिम:– सरणी नदी ।

उत्तर :– अम्बालाल जी, धनश्यामजी चौबीसा के खेत वर्तमान में दोनो चको के मध्य पत्थरो का कोट हैं के वारिश काबिज हैं।

दक्षिण:– धीसुलाल जी. नारायणलालजी पुरोहित का खेत दोनो चको के मध्य (सेर) रास्ता हैं जो सदीप से है वर्तमान वारिश खातेदार कैलाश, हरिश व नर्बदा शंकरजी पुरोहित ।

वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित कृषी भूमि के हाल निम्न लिखित आराजी नम्बर बने हैं :– खाता नं. 18 आराजी नम्बर 56 / 0.16, 57 / 0.19, 58 / 0.10, 60 / 0.10, 61 / 0.08, 62 / 0.51, 63 / 0.80, 108 / 0.03, 109 / 0.01 कुल खेत 9 रकबा 1.98 हैक्टेयर लगानी 18.66 रूप्या खातेदार उँकार पिता किशना डांगी सा. सलूम्बर के नाम दर्ज हुई।

2. स्वर्गीय उँकारजी ने अपनी पत्नि श्रीमती शान्ताबाई को उक्त भूमि को जरिये रजि. वसीयत तारीख 20–06–2002 को दी थी एवं तारीख 31–12–2004 को उँकारजी पटेल का स्वर्गवास सलूम्बर में हो गया इसलिये उँकारजी के निधन के बाद उनकी पत्नि श्रीमती शान्ताबाई उक्त कृषि भूमि की एक मात्र खातेदार काश्तकार बनी एवं श्रीमती शान्ता बाई ने उक्त भूमि जरिये रजि. दानपत्र के तारीख 16–11–2005 को अपनी चारो पुत्र क्धु (1) श्रीमती तुलसादेवी पति गिरधारी लालजी पटेल, (2) श्रीमती अरुणादेवी पति प्रकाशजी पटेल, (3) श्रीमती उषादेवी पति अमृतलाल जी पटेल (4) श्रीमती नैयनादेवी पति विमलजी पटेल डांगी को दान दे दी एवं उक्त भूमि किता 9 रकबा 1.98 हेक्टेयर लगानी 18.66 रू. पर दानग्रहिता को भौतिक कब्जा सिपूर्द किया एवं उक्त भूमि पर खाता व कब्जा काश्त आज तक चारो दानग्रहिता का चला आ रहा है उक्त भूमि वादग्रस्त नहीं हैं इसलिये इन दान पत्र की दानग्रहिता श्रीमती तुलसादेवी, श्रीमती अरूणादेवी, श्रीमती उषादेवी व श्रीमती नैयनादेवी को इस वाद पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है क्योकि वादग्रस्त कृषी भूमी दान दी गई भूमि के अलावा की भूमि है।

3. कि वादीगण के पिता स्वर्गीय उँकारलाल जी के खाते हाल पैमाईश शुरू होने के पहले तक राजस्व रेकार्ड में उनके नाम पर कुल खेत 12 रकबा 11 बीघा 11 बिसवा = 2.50 हेक्टेयर कृषि भूमि खाते में दर्ज थी जिसका उत्तरी पडौसी, पूर्वी पडौसी व दक्षिणी पडौसी अपनी पाली पर कायम हैं एवं जब से वादीगण के पिता ने उक्त कृषि भूमि खरीदी तब से आज तक उक्त भूमि पर पत्थरो का कोट बना हुआ है एवं दक्षिण दिशा में जब उक्त भूमि सन् 1960 में खरीदी तब भी बैलगाडी आवे जावे उतना रास्ता था एवं आज भी मौजुद हैं इसलिये जो भूमि हाल पैमाईश में कम हुई है जो पश्चिम दिशा में राजस्थान सरकार ने वैश्मा पीकअप की नहर निकाली हैं जो साबिक आ.न. 31, (39:41:42), 43, 44 में से गई जो वादीगण के पिता उँकारजी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि में से नहर निकाली हैं जो नहर करीब 16 मीटर चौडी एवं 170 मीटर लम्बी वादीगण की भूमि में से निकाली

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

जिसका क्षेत्रफल 0.270 हेक्टर होता हैं = 1 एक बीघा 5 बिसवा भूमी जिसका मुआवजा आज तक राजस्थान सरकार के सिंचाई विभाग ने वादीगण के स्वर्गीय पिता अथवा वादीगण को नहीं दिया है एवं न ही राजस्थान सरकार के सिंचाई विभाग ने उक्त नहर में गई भूमि हाल पैमाईश के पूर्व सिंचाई विभाग के खाते विधिवत दर्ज कराई है एवं न ही वादीगण के साबित खाते में से 1 एक बीघा 5 बिसवा भूमी 0.270 हेक्टर भूमि कम की थी एवं उक्त नहर व सरणीनदी के मध्य 0.2404 हेक्टर 1 एक बीघा 2 बिसवा कृषी भूमि आज मौजुद हैं जिस पर वादीगण जो स्वर्गीय उँकारजी के 3 तीन जिन्दा बेटे वादीनं. 1 एक, 2 दो व 3 तीन हैं एवं मृत पुत्र अमृतलाल के वारिश पुत्र व पत्नि, वादी नं. 4 चार व 5 पाँच हैं उनका 0.2404 हेक्टर पर आज तक कब्जा काश्त चला आ रहा हैं एवं उक्त भूमि पर फसल बो रहे हैं। इस भूमि से राजस्थान सरकार अथवा सिंचाई विभाग राजस्थान सरकार का कोई लेना–देना नहीं है।

4. वादीगण अपने खातेदारी एवं कब्जे काश्त की जो भूमि सिंचाई विभाग की वैश्मा पीकअप जो जयसमन्द तालाब की नहर में गई भूमि 170 मीटर लम्बी व 16 मीटर चौडी जो पटरी सहित 0.2720 हेक्टर भूमि होती है उसे सिंचाई विभाग के खाते में हाल पैमाईश में अमीनो ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर खाते की हैं उसे वादीगण अपने खाते वापिस नहीं कराना चाहते हैं परन्तु वादीगण के पिता के खाते कुल भूमी 11 बीघा 11 बिसवा 2.4954 = 2.50 हेक्टर भूमि होती थी, इस में से 1.98 हेक्टर वादीगण के स्वर्गीय पिता उँकारजी के खाते दर्ज की एवं 0.2720 हेक्टर जयसमन्द तालाब की वैश्मा पीकअप से निकली नहर में चली गई इस प्रकार कुल भूमी 1.98 + 0.2720 हेक्टर = 2.2520 हेक्टर भूमि होती हैं परन्तु वादीगण के खाते में आज भी नहर की भूमि खाते में जोडने के बाद 2.4954 – 2.2520 हेक्टेयर 0.2434 हेक्टेयर कृषि भूमि आज भी उँकारजी के खाते में साबिक खाता के मुकाबले हाल खाते में कम भूमि हैं इसलिये उक्त भूमी 0. 2434 हेक्टर वादीगण के स्व. पिता उँकारजी पटेल से वादीगण को विरासत से प्राप्त हुई है उसमें कम पड रही हैं जो भूमि आज भी सरणीनदी के पूर्वी किनारे एवं राजस्थान सरकार की नहर वादीगण के पिता स्व. उँकारजी के खाते की भूमि में से सन् 1960 के पहले निकाली हैं उसके पश्चिम किनारे पर 0.2434 है भूमि मौजुद हैं जिस पर वादीगण का कोट बना हुआ है एवं अपने स्वर्गीय पिता उँकारजी के जीवनकाल से आज तक निरन्तर बेरोकटोक के शान्तिपूर्वक काबिज चले आ रहे हैं एवं उक्त भूमि में वादीगण काश्त कर रहे हैं इसलिये उक्त भूमि वादीगण के खाते दर्ज होना चाहिये ।

5. वादीगण के खातेदारी की भूमि के ठीक पश्चिम दिशा में कोई बिलानाम भूमि नहीं थी केवल सरणी नदी थी जिसका पडौस वादीगण के पिता ने जब उक्त कृषि भूमि सन् 1960 में खरीदी तब विक्रय पत्र में पश्चिम दिशा में पडौस सरणी नदी का लिखा हुआ है एवं नदी में कुँआ ओडी आ.न. साबिक 55 आज भी मौजुद हैं जिसका हाल आ.न. 109 पडा हैं।

6. सेटलमेन्ट विभाग ने उक्त भूमि 0.2434 हैक्टर को साबिक आ.न. 30 मीन बिलानाम सरकार से बनने वाले नये हाल आ.न. 2 व 3 तीन में मिला दिये हैं एवं मिलान खतोनी में नम्बर गलत दर्शा रखे हैं उक्त भूमि वादीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि हैं इसलिये आ.न. 2 दो व 3 तीन बिलानाम में से रकबा

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

कम कर वादीगण के खाते 0.2434 हेक्टर कराने का घोषणा व इन्द्राज दुरस्ती कराने का यह वाद पेश कर रहे हैं क्योकि यह भूमि वादीगण के पिता ने किसी को वसीयत अथवा दान अथवा हस्तान्तरण नहीं की है। इसलिये वादीगण स्व. खातेदार उँकारजी के एकमात्र वारिश होने से यह वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश कर रहे हैं।

7. साबिक बिलानाम आ.न. 30 रकबा 2 बीघा 18 बिसवा 0.6266 हेक्टर भूमि होना चाहिए परन्तु अमीनो ने सा. आ.न. 30 बिलानाम वादीगण की भूमि के उत्तरी, पश्चिमी दिशा में हैं एवं उक्त साबिक आ.न. के हाल 2 दो बनाये है जिनका रकबा आ.न. 2 का 0.60 हेक्टर व आ.न. 3 का रकबा 0.14 हेक्टर कुल 0.74 हेक्टर बनाया है बिलानाम रकबे में बढ़ा हुआ 0.134 हेक्टर रकबा बिलानाम में बढ़ाया हैं वह वादीगण के खाते में कम हुआ जो रकबा 0.2434 हेक्टर का भाग हैं जो सेटलमेन्ट विभाग को वादीगण के स्वर्गीय पिता उँकारजी पटेल के खाते दर्ज करना चाहिये था जो वादीगण के पिता के खाते दर्ज नहीं करने में सेटलमेन्ट विभाग ने गलती की हैं। सेटलमेन्ट विभाग को वादिगण के खाते में रकबा कम करने एवं बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के व बिना वादीगण के पिता द्वारा हस्तान्तरण के खाते में भूमि कम करने का कोई अधिकार नहीं था एवं नहीं हैं इसलिये सेटलमेन्ट विभाग द्वारा वादीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि को हाल आ.न. 2 दो व 3 तीन बिलानाम में दर्ज करने का कानून में कोई अधिकार नहीं था इसलिये सेटलमेन्ट विभाग का उक्त कृत्य एब इनिशियो वोइड (अवैध हैं) जिसे वादीगण जब चाहे तब दुरस्त करा सकते हैं उसे दुरस्त कराने एवं वादीगण के पिता के खाते में कम हुई भूमि पुनः वादीगण के खाते कराने का यह वाद पेश हैं। वादीगण को सेटलमेन्ट विभाग की गलती का पता सर्व प्रथम पटवारी हल्का डाल श्री देवींग भाई मीणा से तारीख 01–01–2012 को लगा तब देवींग भाई ने वादीगण की भूमि को बिलानाम सरकार होना बतलाया उसके बाद आवश्यक दस्तावेजात की नकले लेकर तारीख 16–03–2012 को प्रतिवादीगण को धारा 80 जा.दि. का दो माह का रजि. नोटिस भेजा जो प्रतिवादीगण को तारीख 20–03–2012 तक मिल गये एवं 20–05–2012 के बाद वाद कारण हर दिन उत्पन्न होता है जिससे यह वाद अवधि में पेश है।

सहायक कलेक्टर सलूम्बर
सलूम्बर, जिला-सलूम्बर (राज.)

8. वादीगण राजस्थान सरकार की वैश्मा पीकअप की नहर में गई वादीगण की कृषि भूमि 170 मीटर उत्तर से दक्षिण व 17 मीटर पूर्व से पश्चिम 170 × 17 कुल 270 वर्गमीटर = 0.270 हेक्टेयर 1 एक बीघा 5 बिसवा भूमि बाबत् वादीगण की कोई आपति नही हैं, परन्तु उक्त नहर के पश्चिम दिशा में व सरणी नदी के पूर्वी किनारे के मध्य स्थित भूमि 0.2434 हेक्टर जिस पर वादीगण का कब्जा काश्त आज तक हैं व कोट बना हुआ हैं उक्त भूमि को हाल आ.न. 2 दो व 3 तीन बिलानाम भूमि में गलती से सेटलमेन्ट विभाग ने मिला दिया हैं इसलिये वादीगण की दाद सिर्फ राजस्थान सरकार के विरूद्ध हैं। अतः प्रार्थना हैं कि :–

(क)– कि वादीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि जिसके साबिक आ.न. 31, (39:41:42), 43, 44 में जयसमन्द तालाब की नहर वैश्मा पीकअप से निकाली हैं उसमें 0.2720 हेक्टर कृषी भूमि गई हैं एवं उक्त नहर के पश्चिम दिशा में व सरणी नदी के पूर्वी किनारे पर उक्त आराजी की शेष भूमि 0.2434 हैक्टेयर

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

जिस पर वादीगण अपने पिता के समय से निरन्तर बेरोकटोक के आज तक बतौर खातेदार काश्तकार के काबिज चले आ रहे हैं एवं इस भूमि को अमीनो ने गलती से हाल बिलानाम आ.न. 2 दो व आ.न. 3 तीन में अवैध रूप से मिला दी हैं एवं वादीगण के पिता के खाते में रकबा कम कर दिया हैं इसलिये उक्त 0.2434 हेक्टर कृषि भूमि का एक मात्र खातेदार काश्तकार एवं काबिज वादीगण को घोषित फरमाया जावें ।

(ख)– कि माफिक घोषणा हाल बिलानाम आ.न. 2 दो व 3 तीन का मौके पर नपति कराकर दोनो आराजी में से कुल रकबा 0.2434 हेक्टर कम कर इसे वादीगण के खाते यानि उँकारजी के वारिश तीनो बेटो जो वादीगण नं. 1 से 3 तक का 3/4 हिस्सा व वादी नं. 4 चार व 5 पाँच का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कर उक्त भूमी वादीगण के खाते दर्ज फरमाई जावे एवं राजस्व रेकार्ड में दुरस्ती फरमाई जावें ।

(ग)– कि प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि वादीगण के शान्तिपूर्वक काश्त कब्जे में किसी प्रकार की दस्तनदाजी नहीं करे एवं न ही उक्त कृत्य अपने परिजनो नोकरो मजदुरो से करावें ।

वादपत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण का जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री गेबीलाल मेहता हाजिर आये जिन्होने जवाब पेश कर किया कि –

1. दावे वादी की कलम संख्या 1 (एक) जानकारी के अभाव में अस्वीकर हैं, 1960 वादीगण के पूर्वज ने वादग्रस्त भूमी कब किससे कितने में खरीदी का कोई दस्तावेज दावे की नकल के साथ नहीं हैं।
2. दावेवादी की कलम संख्या 2 (दो) अस्वीकार हैं, भूमी की राजस्व नकल साथ नही होने से जानकारी नहीं है।
3. दावेवादी की कलम संख्या 3 (तीन) जानकारी के अभाव में अस्वीकार है, कोई दानपत्र, वसीयत आदि दावे की नकल के साथ संलग्न नही हैं तथा वादग्रस्त भूमी में इस भूमी का कोई सरोकार नहीं हैं तो वाद पत्र में उसका कोई उल्लेख करने की आवश्यकता नही है।
4. कि दावेवादी की कलम संख्या 4 चार अस्वीकार है सेटलमेन्ट पूर्व से सिंचाई विभाग की नहर बनी हुई है जो राजस्व रेकार्ड में नहर दर्शा रखी हैं, मौके पर भूमि वर्षों से सार्वजनिक नहर के उपयोग में आ रही हैं जिस समय नहर बनाई तब उँकारजी को कोई विरोध नही था उन्होने अपनी भूमी में पिलाई हेतु नहर अपनी सीमा से निकलवाई ताकि उनको उसका फायदा हो सके। आज वादीगण की नियत में खोट आने से यह झुठ मुठ का दावा पेश कर अनावश्यक सरकार से धन ऐठना चाहते हैं। भूमी पर वर्षों पूर्व नहर होने व उक्त सारे तथ्य की जानकारी वादीगण व उनके पूर्वजो को थी तब से आज तक उन्होंने कोई उजर, ऐतराज नहीं किया, इसलिये अब वादीगण का वाद अवधी परे व बिना कब्जे के पेश हैं जो खारीज योग्य हैं।
5. कि दावे वादी की कलम संख्या 5 (पाँच) अस्वीकार हैं भूमि मौके पर सिंचाई विभाग के खाते नहर व पटरी दर्ज हैं तथा मौके पर रास्ते भी हैं जिनके अलावा जो भूमि वादीगण व उनके पूर्वज के कब्जे में थी जो पेमाईश के समय मौके अनुसार वादीगण के खाते दर्ज हुई, वादी के दावे से साबित नहीं हैं कि उसके खाते की भूमि कम हुई जो किसके खाते व कितनी है व मौके पर भूमि कहाँ है।

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

वादीगण के खाते भूमि कम दर्ज हुई हैं उसका कारण पास में नदी होना है मौके पर भूमि वादीगण के खाते व कब्जे बराबर हो दावा वादी चलने योग्य नहीं होकर अवधी परे व आधारहीन होने से खारीज योग्य हैं।

6. यह कि दावेवादी की कलम संख्या 6 (छः) जानकारी के अभाव में अस्वीकार हैं, वादी के पिता ने सन् 1960 में भूमी क्रय की तब जानबुझकर पडौस गलत लिखा दिये हैं कि वादीगण प्रतिवादीगण का कोई सरोकार नहीं है व नहीं उसे लिखतम से प्रतिवादीगण पाबन्द ही है। मौके पर आज जो स्थिती हैं व ही रेकार्ड में दर्ज हैं जो वास्तविक स्थित हो सही है।

7. यह कि दावेवादी की कलम संख्या 7 (सात) अस्वीकार है जो वक्त पैमाईश मौके की स्थिति थी उसी अनुसार सेटलमेन्ट अधिकारी ने मौका अनुसार रेकार्ड तैयार किया जो सही किया है। मौके पर वादीगण का कब्जा आ.न. 2, 3 पर नहीं है तो बिना कब्जेयाबी की दाद के वादी का यह वाद चलने योग्य नहीं है।

8. यह कि दावेवादी की कलम संख्या 8 (आठ) अस्वीकार हैं, वादीगण व उसके पिता के कब्जे में भूमी 1.98 हेक्टर ही है व मौके पर भी 1.98 हेक्टर भूमि ही वादी के कब्जे हो खाते व नक्शे में दर्ज हैं इसलिये वादीगण कोई भूमि दुरस्ती द्वारा अपने नाम दर्ज कराने का कोई हक, अधिकार नहीं रखते हैं।

9. यह कि दावेवादी की कलम संख्या 9 (नौ) अस्वीकार है, सेटलमेन्ट अधिकारी ने मौके अनुसार रिपोर्ट तैयार कर राजस्व रेकार्ड तैयार किया जो सही किया है। भूमि वादीगण के कब्जे में सेटलमेन्ट पूर्व व सेटलमेन्ट बाद जितनी थी जो उसके खाते हैं अब वो दावे की आड़ में सरकारी भूमि को एठना चाहते हैं जिस हेतु यह आधारहीन दावा प्रस्तुत किया हैं जो खारीज योग्य है।

10. यह कि दावेवादी की कलम संख्या 10 (दस) अस्वीकार हैं वादीगण व उनके पिता सभी पढ़ लिखे होशियार लोग हैं उनके मौक की व राजस्व रेकार्ड की जानकारी भली प्रकार थी तथा व जानते थे कि भूमि मौके पर व राजस्व रेकार्ड में बराबर हैं आज तक खाते व कब्जे भूमि का लगान, पिलाई जमा कराते आ रहे हैं, नहर मौके पर वर्षों पूर्व बनी हुई हैं जो वादीगण की जानकारी में हैं, वादीगण द्वारा वादपत्र के हल्का पटवारी से जानकारी होना बताया हैं जो सरासर निराधार है जो कि हल्का पटवारी के पास सेटलमेन्ट पूर्व का रेकार्ड नही रहता है, वह वर्त्तमान की जानकारी ही देता हैं इसलिये वादीगण मनगठन्त कहानी बना अवधी परे वाद को अवधी में मर्ज करने की गरज से गलत तथ्य अंकित किये हैं।

11. यह कि दावेवादी की कलम संख्या 11 (ग्यारह), 12 (बारह), 13 (तेरह), 14 (चौदह), 15 (पन्द्रह) अस्वीकार हैं वादीगण किसी तरह से कोई दुरस्ती कराने घोषणा कराने व मुआवजा पाने के हकदार नही हैं, वादीगण के खाते में भूमी जितनी दर्ज हैं उतनी ही पर वादीगण काबिज हैं वादीगण का वाद अवधी परे आधारहिन तथा बिना कब्जे के आधार पर पेश हैं जो खारिज योग्य हैं।

अतः प्रार्थना है कि, दावा वादी सव्यय खारिज फरमावे व राज, सरकार को वादीगण से प्रतिकर दिलाना फरमावें ।

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

प्रकरण मे कार्यालय सहायक अभियन्ता जल संसाधन उपखण्ड सलूम्बर के पत्रांक 398 दिनांक 03–01–2022 को पेश कर अंकित किया कि पूर्व मे इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 10 दिनांक 05–04–2012 के द्वारा एडवोकेट श्री गोविन्द लाल डांगी उदयपुर रोड सलूम्बर को इस कार्यालय द्वारा अवगत कराया जा चुका है कि साबिक आराजी नम्बर 31,39, 41, 42, 43, 44, 48 जयसमन्द तालाब की नहर करीब 16 मीटर चौडी एवं 170 मीटर लम्बी निकाली जिसमे करीब 0.2720 हैक्टेयर कृषि भूमि नहर मे चली गई जो असत्य है एवं गलत है जबकी आराजी नम्बर वर्तमान मे 55, 56, 61, 62, 63, 108, 109 में से 243 मीटर लम्बाई, 30 मीटर चौडाई कुल 7290 वर्गमीटर कुल 0.7290 हैक्टेयर क्षैत्र मे नहर निकाली गई है। जो उस समय के सहायक अभियन्ता व सम्बन्धित पटवारी हल्का डाल द्वारा नापी गई थी जो कि वर्तमान मे भी मौके पर विधमान है।

आदेशिका दिनांक 14–12–2016 को वादीगण के प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 9 जा.दि. पर सुनवाई के उपरान्त प्रकरण मे तहसीलदार सलूम्बर से कमिश्नरी रिपोर्ट तलब की गई। रिपोर्ट निम्नानुसार है–

(1) यह कि ग्राम दूदर की आ. न. 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63 108, 109 कुल कीता 9 रकबा 1.98 जमाबंदी संवत 2056–59 में खाता सख्या 18 श्री उँकार लाल पिता किशना डांगी सा. सलुम्बर के नाम दर्ज है।

(2) सेटलमेंट के पूर्व साबिक आ. न. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 55 कुल किता 12 रकबा ग्यारह बिघा ग्यारह बिस्वा वादीगण के पिता थी उँकारलाल पिता किशना डांगी के नाम दर्ज थी।

(3) वर्तमान आरजी नम्बर 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 108, 109 कुल कीता 2 रकबा 1.98 का बेचान कान्ता पति जयप्रकाश आगाल राहुल पिता जयप्रकाश हर्षित पिता जयप्रकाश 1/2, प्रियंका पति निखिलजी राठी सा.उदयपुर स्वाति पति राहुल आगाल कान्ता पति जयप्रकाश आगाल सा. सलुम्बर को कर दिया है जो दर्ज रेकार्ड है।

(4) यह कि साबिक आराजीयात के रकबे 11 बिघा 11 बिस्वा एवं वर्तमान आराजीयात के तुलनात्मक रकबा मिलान करने पर पुराने के मुकाबाले वर्तमान खाते में वादीगण के पिता श्री ऊँकारलाल के नाम पर 0.24 हैक्टेयर भूमि और कम दर्ज हुई है। इसके अलावा भूमि नहर में आवाप्त हो चुकी है। जिसकी इन्दाज दुरुस्ती संभव नहीं है। वर्तमान आ.नं. 2 रकबा 0.60 बिलानाम सरकार है जो साबिक आराजी नम्बर 31, 39, 41, 42 का रकबा भी उसमें शामिल है ऐसा वर्तमान एवं साबिक नक्शे के मिलान से प्रतीत हो रहा है। रेकार्ड अनुसार आ. नं. 2 रकबा 0.60 साबिक आराजी नम्बर 30 मी. से बना है परन्तु वर्तमान एवं साबिक नक्शे की तुलना करने पर यह पाया गया कि आ.नं. 2 रकबा 0.14 हैक्टेयर भूमि वादीगण के साबिक खाते अनुसार है। वादीगण का मौके पर कब्जा काश्त है।

वादीगण के वाद एवं प्रतिवादीगण के जवाब दावे के आधार पर न्यायालय द्वारा निम्न तनकियात कायम की गई–

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

1. आया मौजा दुदर पटवार हल्का डाल की साबिक आराजी कुल किता 12 खेत रकबा 11 बिघा 11 बिस्वा भूमि वादीगण के पूर्वजो ने श्री सवलाल पिता नवलरामजी सुथार से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के दिनांक 15–11–1960 को खरीदी थी?

–बजिम्मे वादीगण

2. आया राज ने वैश्मा पिकअप की नहर साबिक आराजी नम्बर 31 (39, 41, 42) 43, 44 में से उँकार जी के खातेदारी भूमि मेंसे 0.2700 हैक्टेयर भूमि में नहर निकाली गयी थी?

–बजिम्मे वादीगण

3. आया वादीगण साबिक खाता के मुकाबले हाल खाते में कम रकबा 0.2434 हैक्टेयर भूमि अपने नाम राजस्व रेकार्ड में घोषणा कराने के कानूनन अधिकारी है?

–बजिम्मे वादीगण

4. आया वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है?

–बजिम्मे वादीगण

5. आया वादग्रस्त भूमि पर सेटलमेन्ट से पूर्व सिंचाई विभाग की नहर होकर सिंचाई विभाग का कब्जा है?

–बजिम्मे प्रतिवादी संख्या 2, 3

6. आया साबिक रकबा तथा हाल रकबा में कोई अन्तर नही है?

–बजिम्मे प्रतिवादी संख्या 2, 3

7. दादरसी ?

वादीगण ने अपने वादपत्र की पुष्ठी मे दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श 1– असल विक्रय पत्र, प्रर्दश 2– जमाबंदी नम्बर 10 उँकार पिता किशना डांगी, प्रर्दश 3 मिलान खतोनी की प्रमाणित नकल, प्रर्दश 4– हाल नक्शा की प्रमाणित प्रति, प्रर्दश 5– खाता संख्या 1 बिलानाम सरकार की नकल, प्रर्दश 6–सिंचाई विभाग के खाते की प्रमाणित नकल, प्रर्दश 7– मिलान खतोनी, प्रर्दश 8– उँकार का मृत्यु प्रमाणपत्र, प्रर्दश 9– शान्ता का मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रर्दश 10– धारा 109 प.रा.अ. का नोटिस, प्रर्दश 11 व 12 पोस्टल रसीदे, प्रर्दश 13–कोर्ट कमिश्नर रिपोर्ट मय पर्चा मौका, प्रर्दश 14 साबिक नक्शा पेश की। वादी गवाह पी.डब्ल्यू 1 श्री प्रकाश पुत्र स्व. उँकार पटेल का शपथ पत्र पेश किया।

साक्ष्य प्रतिवादी मे स्वयं तहसीलदार सलूम्बर बतौर गवाह हाजिर आये एवं बयान दर्ज कराये।

पत्रावली मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण ने बहस मे अपने वादपत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए वादीगण आराजी की शेष भूमि 0.2434 हैक्टेयर जिस पर वादीगण अपने पिता के समय से निरन्तर बेरोकटोक के आज तक बतौर खातेदार काश्तकार के काबिज चले आ रहे हैं एवं इस भूमि को अमीनो ने गलती से हाल बिलानाम आ.न. 2 दो व आ.न. 3 तीन में अवैध रूप से मिला दी हैं एवं वादीगण के पिता के खाते में रकबा कम कर दिया हैं। कमिश्नरी रिपोर्ट भी वादीगण के पक्ष मे आई है इसलिये उक्त 0.2434 हेक्टर कृषि भूमि का एक मात्र खातेदार काश्तकार एवं काबिज वादीगण को घोषित फरमाया जावें एवं दावा वादीगण डिक्री फरमाया जावे।

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने बहस मे अपने जवाब में अंकित तथ्यो को दौहराते हुए कथन किया कि मौके पर सिंचाई विभाग के खाते नहर व पटरी दर्ज हैं तथा मौके पर रास्ते भी हैं जिनके अलावा जो भूमि वादीगण व उनके पूर्वज के कब्जे में थी जो पेमाईश के समय मौके अनुसार वादीगण के खाते दर्ज हुई, वादी के दावे से साबित नहीं हैं कि उसके खाते की भूमि कम हुई जो किसके खाते व कितनी है । वादीगण के खाते भूमि कम दर्ज हुई हैं उसका कारण पास में नदी होना है वादीगण का दावा वादी खारीज योग्य हैं। अतः खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली मे तनकी वार निर्णय निम्न प्रकार है –

तनकी नम्बर 1– आया मौजा दुदर पटवार हल्का डाल की साबिक आराजी कुल किता 12 खेत रकबा 11 बिघा 11 बिस्वा भूमि वादीगण के पूर्वजो ने श्री सवलाल पिता नवलरामजी सुथार से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के दिनांक 15–11–1960 को खरीदी थी?

यह तनकी साबित करने का भार वादीगण पर है वादीगण ने अपने समर्थन मे दस्तावेज साक्ष्य प्रदर्श असल विक्रय पत्र, प्रर्दश 2– जमाबंदी नम्बर 10 उँकार पिता किशना डांगी पेश जिससे यह तनकी वादीगण पक्ष मे साबित पाई जाति है।

तनकी नम्बर 2– आया राज ने वैश्मा पिकअप की नहर साबिक आराजी नम्बर 31 (39, 41, 42) 43, 44 में से उँकार जी के खातेदारी भूमि मेंसे 0.2700 हैक्टेयर भूमि में नहर निकाली गयी थी?

यह तनकी साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण ने राजस्थान सरकार की वैश्मा पीकअप की नहर में गई वादीगण की कृषि भूमि 170 मीटर उत्तर से दक्षिण व 17 मीटर पूर्व से पश्चिम 170 × 17 कुल 270 वर्गमीटर = 0.270 हेक्टेयर 1 एक बीघा 5 बिसवा भूमि बाबत् वादीगण की कोई आपति नही हैं, परन्तु उक्त नहर के पश्चिम दिशा में व सरणी नदी के पूर्वी किनारे के मध्य स्थित भूमि 0.2434 हेक्टर जिस पर वादीगण का कब्जा काश्त आज तक हैं व कोट बना हुआ हैं उक्त भूमि को हाल आ.न. 2 दो व 3 तीन बिलानाम भूमि में गलती से सेटलमेन्ट विभाग ने मिला दिया हैं जिसकी घोषणा कराने का यह वाद पेश किया है। पत्रावली मे प्राप्त कमिश्नरी रिपोर्ट प्रदर्श 13 में अंकित किया है कि साबिक आराजीयात के रकबे 11 बिघा 11 बिस्वा एवं वर्तमान आराजीयात के तुलनात्मक रकबा मिलान करने पर पुराने के मुकाबाले वर्तमान खाते में वादीगण के पिता श्री ऊँकारलाल के नाम पर 0.24 हैक्टेयर भूमि और कम दर्ज हुई है। इसके अलावा भूमि नहर में आवाप्त हो चुकी है। जिसकी इन्दाज दुरुस्ती संभव नहीं है। वर्तमान आ.नं. 2 रकबा 0.60 बिलानाम सरकार है जो साबिक आराजी नम्बर 31, (39, 41, 42) जूज का रकबा भी उसमें शामिल है ऐसा वर्तमान एवं साबिक नक्शे के मिलान से प्रतीत हो रहा है। रेकार्ड अनुसार आ. नं. 2 रकबा 0.60 साबिक आराजी नम्बर 30 मी. से बना है परन्तु वर्तमान एवं साबिक नक्शे की तुलना करने पर यह पाया गया कि आ.नं. 2 रकबा 0.14 हैक्टेयर भूमि वादीगण के साबिक खाते अनुसार है। वादीगण का मौके पर कब्जा काश्त है। जिसकी पुष्टी

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

वादीगण द्वारा अपने समर्थन मे प्रस्तुत दस्तावेजात से होती है। चूंकि वादीगण स्वयं ने अपने वादपत्र मे राजस्थान सरकार की वैश्मा पीकअप की नहर में गई वादीगण की कृषि भूमि 0.270 हेक्टेयर 1 एक बीघा 5 बिसवा भूमि बाबत् वादीगण की कोई आपति नही हैं न ही इसकी घोषणा की दाद अपने वादपत्र मे मांगी है।

तनकी नम्बर 3– आया वादीगण साबिक खाता के मुकाबले हाल खाते में कम रकबा 0.2434 हैक्टेयर भूमि अपने नाम राजस्व रेकार्ड में घोषणा कराने के कानूनन अधिकारी है?

सेटलमेंट के पूर्व साबिक आ. न. 31, 32, 33, 34, 35, 36, (37, 40) जूज, 38, (39, 41, 42) जूज, 43, (44, 45) जूज, 55 कुल किता 12 रकबा ग्यारह बिघा ग्यारह बिस्वा वादीगण के पिता थी उँकारलाल पिता किशना डांगी के नाम दर्ज थी। साबिक आराजीयात के रकबे 11 बिघा 11 बिस्वा एवं वर्तमान आराजीयात के तुलनात्मक रकबा मिलान करने पर पुराने के मुकाबाले वर्तमान खाते में वादीगण के पिता श्री ऊँकारलाल के नाम पर 0.24 हैक्टेयर भूमि और कम दर्ज हुई है। जिसकी पुष्टी पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं कमिश्नरी रिपोर्ट से होती है। वादीगण ने अपने वादपत्र के अभिवचनो मे भी यह अंकित किया है कि जो भूमि सिंचाई नहर में गई हे उसके संबंधित दाद नही चाही है। प्रदर्श 13 कमिश्नरी रिपोर्ट मे स्पष्ट अंकित किया है कि वर्तमान आ.नं. 2 रकबा 0.60 बिलानाम सरकार है जो साबिक आराजी नम्बर 31, 39, 41, 42 का रकबा भी उसमें शामिल है ऐसा वर्तमान एवं साबिक नक्शे के मिलान से प्रतीत हो रहा है। रेकार्ड अनुसार आ. नं. 2 रकबा 0.60 साबिक आराजी नम्बर 30 मी. से बना है परन्तु वर्तमान एवं साबिक नक्शे की तुलना करने पर यह पाया गया कि आ.नं. 2 रकबा 0.14 हैक्टेयर भूमि वादीगण के साबिक खाते अनुसार है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकॉर्ड एंव कमिश्नरी रिपोर्ट के आधार पर वादीगण 0.24 हैक्टेयर के बजाय 0.14 हैक्टेयर भूमि की घोषणा कराये जाने का अधिकारी पाया जाता है।

तनकी नम्बर 4– आया वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है?

यह तनकी साबित करने का भार वादीगण पर है। वादग्रस्त भूमि वादीगण के साबिक आराजीयात 11 बिघा 11 बिस्वा = 2.50 हेक्टेयर भूमि थी, इस में से 1.98 हेक्टर वादीगण के स्वर्गीय पिता उँकारजी के खाते दर्ज की एवं 0.2720 हेक्टर जयसमन्द तालाब की वैश्मा पीकअप से निकली नहर में चली गई इस प्रकार कुल भूमी 1.98 + 0.2720 हेक्टर = 2.2520 हेक्टर भूमि होती हैं परन्तु वादीगण के खाते में आज भी नहर की भूमि खाते में जोडने के बाद 2.4954 – 2.2520 हेक्टेयर 0.2434 हैक्टेयर भूमि वादीगण के खाते मे से बिलानाम आराजी मे मिला दीया गया जिसकी घोषणा का यह वाद पेश करते हुए वादीगण ने अपने वादपत्र के अभिवचनो मे सेटलमेन्ट से पूर्व से आज तक उक्त भूमि पर अपना कब्जा होना जाहिर किया है। जिसे कमिश्नरी रिपोर्ट मे भी 0.14 हैक्टेयर भूमि पर

सहायक कलक्टर सलुम्बर
जिला सलूम्बर

वादीगण का कब्जा होना स्वीकार किया है। अतः यह तनकी वादीगण साबित करने मे सफल रहे है।

तनकी नम्बर 5, 6– तनकी नम्बर 5 व 6 साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के जिम्मे है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने अपने समर्थन मे कोई दस्तावेज पेश नही किया। साक्ष्य प्रतिवादी में भूमिधारी तहसीलदार सलूम्बर बतौर गवाह हाजिर आये जिनसे जीसह वादी अधिवक्ता द्वारा की गई जिन्होने जीरह मे कथन किया कि ''राजस्व रेकॉर्ड अनुसार 1.98 हैक्टेयर भूमि वादी के खाते दर्ज है। आया सिंचाई विभाग ने वादी की कोई भूमि आवाप्त कर मुआवजा दिया हो इसकी जानकारी मुझे नही है।'' वादीगण ने अपने वादपत्र मे वादीगण की जो भूमि सिंचाई नहर मे गई उससे संबंधित कोई दाद इस वाद मे नही चाही है। तनकी नम्बर 6 का विस्तृत विवेचन तनकी नम्बर 4 मे किया जा चुका है। साबिक के मुकाबले वादीगण के हाल रकबे मे कमी होना साबित है।

पत्रावली मे उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। बहस मनन की गई तथा पुरी पत्रावली एवं उसमें पेश दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दोनो पक्षो की बहस सुनने के बाद मेरी राय मे वर्तमान एवं साबिक नक्शे की तुलना करने पर यह पाया गया कि आ.नं. 2 रकबा 0.14 हैक्टेयर भूमि वादीगण के साबिक खाते अनुसार है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकॉर्ड एंव कमिश्नरी रिपोर्ट के आधार पर 0.14 हैक्टेयर भूमि की घोषणा कराये जाने का अधिकारी पाये जाने से वादी का वाद डिक्री किया जाना न्यायालय उचित समझता है ।

–::आदेश::–

अतः वादीगण का वाद बाबत् घोषणा कराने खातेदारी हक इन्द्राज दुरस्ती का का स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि– मौजा दुदर पटवार हल्का डाल के हाल बिलानाम आ.न. 2 दो में से कुल रकबा 0.14 हैक्टेयर कम कर इसे वादीगण के खाते यानि उँकारजी के वारिश तीनो बेटो जो वादीगण नं. 1 से 3 तक का 3/4 हिस्सा व वादी नं. 4 चार व 5 पाँच का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं राजस्व रेकार्ड में दुरस्ती किये जाने का आदेश दिया जाता है। माफिक निर्णय डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जावे तथा पालनार्थ निर्णय एवं डिक्री की एक प्रत तहसीलदार सलुम्बर को भेजी जावे।

मिसल फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय दिनांक 23/06/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर सलूम्बर

(परमजीत आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, सलुम्बर
जिला सलूम्बर

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम् 6 और 7)

न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला–सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री परमजीत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 45/2012 रा.वा.

उनवान

1. श्री गिरधारी लाल पिता स्वर्गीय उँकारलाल जी पटेल (डांगी) उम्र बालिग
2. श्री प्रकाश पिता स्वर्गीय उंकारलाल जी पटेल (डांगी) उम्र बालिग
3. श्री विमल पिता स्वर्गीय रोंकारलाल जी पटेल (डांगी) उम्र बालिग
4. श्रीमती उषादेवी पत्नि स्व. अमृतलाल जी डागी (पटेल) उम्र बालिग
5. श्री गौरव पुत्र स्व. अमृतलाल जी डांगी (पटेल) उम्र बालिग

सभी निवासीयान सलूम्बर तह. सलूम्बर जिला उदयपुर (राज.)

–वादीगण

विरुद्ध

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर साहब जिला उदयपुर हाल जिला सलूम्बर।
2. श्रीमान् अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई विभाग उपखण्ड सलूम्बर (जल संसाधन उपखण्ड सलूम्बर)
3. सहायक अभियन्ता सिंचाई विभाग उपखण्ड सलूम्बर (जल संसाधन उपखण्ड सलूम्बर)

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा–88, 188 रा. का. अ. एवं धारा 136 राज. भू–राजस्व अधिनियम

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट एवं धारा 136 भू.रा.अ. के लिए दावा वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री गोपाल चौबीसा एवं प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री गेबीलाल मेहता की उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख 23/06/25 को न्यायालय के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता हैं कि मौजा दुदर पटवार हल्का डाल के हाल बिलानाम आ.न. 2 दो में से कुल रकबा 0.14 हैक्टेयर कम कर इसे वादीगण के खाते यानि उँकारजी के वारिश तीनो बेटो जो वादीगण नं. 1 से 3 तक का 3/4 हिस्सा व वादी नं. 4 चार व 5 पाँच का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं राजस्व रेकार्ड में दुरस्ती किये जाने का आदेश दिया जाता है।

इसके वाद के खर्चे पक्षकार अपना–अपना वहन करे।

यह डिक्री आज दिनांक 23/06/25 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गयी।

(परमजीत आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सलुम्बर

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

वाद के खर्चे

वादी	रूपये	पैसे	प्रतिवादी	रूपये	पैसे
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	01	–	शक्ति–पत्र के लिए स्टाम्प	01	–
2. शक्ति–पत्र के लिए स्टाम्प	01	–	अर्जी के लिए स्टाम्प	–	–
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	01	–	प्लीडर की फीस	–	–
4. रूपये पर लीडर की फीस	–	–	सक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	–	–
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	–	–	आदेशिका की तामील	–	–
6. कमिश्नर की फीस (तलवाना)	02	–	कमिश्नर की फीस	–	–
7. आदेशिका की तामील	–	–		–	–
योग	05	–	योग	01	–

उपखण्ड अधिकारी
सलुम्बर

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर